

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II
(राजनीति, शासन और आईआर)
से संबंधित है।

द हिन्दू

25 फरवरी, 2022

यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर रूसी आक्रमण।

कल, रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। रूसी कार्रवाइयों की व्यापक रूप से निंदा की गई है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से संबंधित कई सवाल उठाए हैं।

गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में निहित है। इसके लिए राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या बल प्रयोग करने की धमकी से परहेज करने की आवश्यकता है। यूक्रेन पर रूसी हमला इस सिद्धांत का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आक्रामकता के बराबर है। यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने की रूस की इच्छा यूक्रेन के खिलाफ बल प्रयोग का एक प्रमुख कारण है।

रूस ने दावा किया है कि वह आत्मरक्षा में काम कर रहा है क्योंकि यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों की मदद से परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। हालाँकि, परमाणु हथियारों के खतरे की वैधता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि केवल परमाणु हथियारों का होना कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा, नाटो जैसे रक्षा गठबंधन में मात्र सदस्यता को भी आक्रामकता का खतरा नहीं माना जा सकता है।



पुष्कर आनंद वर्षा सिंह

अब तक की कहानी: विक्टर यानुकोविच को राष्ट्रपति पद से हटाने के बाद रूस द्वारा 2014 में क्रीमिया पर कब्जा, रूस-यूक्रेनी संबंधों में पहला बड़ा सैन्य भड़कना था। रूस द्वारा क्रीमिया के राज्यहरण के साथ ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि, रूस अभी भी क्रीमिया पर कब्जा कर रहा है, और 2014 के बाद से इसकी गतिविधियाँ पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को भड़काने के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। जनवरी 2021 में, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेन्स्की ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की, जिसके बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन की सीमाओं के पास सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

दिसंबर 2021 से तनाव तेजी से बढ़ गया जब रूस ने नाटो से पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में अपनी सैन्य गतिविधियों को छोड़ने की मांग की, जिसके बाद यूक्रेनी सरकार की वेबसाइट पर एक रूसी साइबर हमला हुआ। 22 फरवरी को, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में स्व-घोषित डोनेट्स्क और लुहान्स्क गणराज्यों को मान्यता दी, और इन क्षेत्रों में रूसी सैनिकों को भेजा। अंत में, कल रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। रूसी कार्रवाइयों की व्यापक रूप से निंदा की गई है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से संबंधित कई सवाल उठाए हैं।

रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कैसे कर रहा है?

घरेलू मामलों में गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत वह मूलभूत सिद्धांत है जिस पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित है। यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में निहित है, जिसमें राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या बल प्रयोग करने की धमकी से परहेज करने की आवश्यकता है। यह किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जबरन अतिचार को प्रतिबंधित करता है, भले ही वह अस्थायी या सीमित संचालन जैसे 'इन और आउट' ऑपरेशन के लिए हो। यूक्रेन पर रूसी हमला गैर-हस्तक्षेप सिद्धांत का उल्लंघन है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आक्रामकता के बराबर है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3314 (1974) में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ सशस्त्र बल के उपयोग के रूप में आक्रामकता को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य राज्य द्वारा किसी तीसरे राज्य के खिलाफ आक्रामकता के लिए किसी के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देना भी आक्रामकता के कार्य के रूप में योग्य है। तदनुसार, बेलारूस को भी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस द्वारा अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाले रोम कानून के तहत आक्रामकता को एक अंतरराष्ट्रीय अपराध भी माना जाता है।

यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने की रूस की इच्छा यूक्रेन के खिलाफ बल प्रयोग का एक प्रमुख कारण है। यह अनुच्छेद 2(4) के तहत यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है क्योंकि यूक्रेन एक संप्रभु राज्य होने के नाते यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह किन संगठनों में शामिल होना चाहता है। साथ ही, बल के प्रयोग का सहारा लेकर, रूस ने अनुच्छेद 2(3) का उल्लंघन किया है, जिसके तहत राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से अपने विवाद को निपटाने की आवश्यकता है।

आत्मरक्षा के सिद्धांत के बारे में क्या?

रूस द्वारा बल प्रयोग के सामने यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक राज्य को व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का सहारा लेने के लिए अधिकृत करता है, जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाती। इस मामले में, यूएनएससी के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना असंभव लगता है क्योंकि रूस एक स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर है। हालांकि, यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सैन्य सहायता, हथियारों की आपूर्ति आदि के रूप में अन्य राज्यों से सहायता का अनुरोध करने का अधिकार है।

दूसरी ओर, रूस ने भी दावा किया है कि वह आत्मरक्षा में काम कर रहा है। यह दावा संदेहास्पद है, क्योंकि यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ बल प्रयोग या इस तरह की धमकी का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। रूस द्वारा यह दावा किया गया है कि यूक्रेन पश्चिमी सहयोगियों की मदद से परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। हालांकि, परमाणु हथियारों के खतरे की वैधता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने माना कि केवल परमाणु हथियारों का कब्जा एक खतरा नहीं है।

इस प्रकार, भले ही यूक्रेन के पास भविष्य में परमाणु हथियार हों या न हों, यह रूस द्वारा आत्मरक्षा का आह्वान करने का आधार नहीं बनता है। इसके अलावा, नाटो जैसे रक्षा गठबंधन में केवल सदस्यता को रूस के खिलाफ आक्रामकता का खतरा नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, यहाँ भी रूस आत्मरक्षा का आह्वान नहीं कर सकता है।

रूस भी अग्रिम आत्मरक्षा का आह्वान नहीं कर सकता है क्योंकि कैरोलिन परीक्षण के अनुसार इस तरह के आह्वान के लिए आवश्यकता होगी कि आत्मरक्षा की आवश्यकता तत्काल, अपरिहार्य कोई विकल्प न हो, और विचार-विमर्श के लिए कोई क्षण न हो। हालाँकि, रूस के साथ ऐसा नहीं है।

प्र. संयुक्त राष्ट्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है
2. संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (क) केवल 1 (ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों (घ) कोई नहीं

Q. Consider the following statements regarding united nations.

1. its headquarters is located in new york
2. UN day is observed on 24 october every year

Which of the above statements is /are correct?

- (a) 1 only (b) 2 only
(c) Both 1 and 2 (d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. आवश्यकता और आनुपातिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय कानून में आत्मरक्षा का दिल है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और रूस-यूक्रेन संकट में हाल के घटनाक्रम के आलोक में व्याख्या करें। (250 शब्द)

Q. The concepts of 'necessity' and proportionality are the heart of self defence in international law. explain in the light of UN charter and recent developments in Russia Ukraine crisis. (250 Words)

World

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।